

कुलसचिव कार्यालय
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145


पत्रांक:- आर/डीआर/2023/ 969

दिनांक:- 10.01.2023
13

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रम में पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के सामूहिक स्वास्थ एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:-

1. पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान महाविद्यालय का सम्पूर्ण कोर्स साढ़े पाँच साल का होता है जिसमें से चतुर्थ वर्ष डेढ़ वर्ष का होता है। चतुर्थ वर्ष डेढ़ वर्ष का होने के कारण विद्यार्थियों को चतुर्थ वर्ष के तीसरा सेमेस्टर में पॉलिसी में कवर किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों से दो वर्ष का (दोगुना) प्रीमियम जमा कराया जाना है।
2. पंचम वर्ष के विद्यार्थियों से पूर्व की भांति ही पंचम वर्ष में पंजीकरण के समय मेडीकलेम की फीस जमा कराया जाना है।


(ए०क० शुक्ला)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा महाविद्यालय } आवश्यक कार्यवाही एवं सम्बन्धित छात्र पटलों को
2. वित नियंत्रक } उपरोक्तानुसार वसूली के निर्देश दिये जाने हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक
4. उपकलसचिव/इन्वार्ज आई०सी०सी०
5. इन्वार्ज विश्वविद्यालय वेबसाइट, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।